सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 जुलाई, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा सोमवार, तिथि 20 जुलाई, 2026 ई0

तृतीय सत्र 29 आषाढ़, 1948 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय – 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान होगा, कृपया, अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(राष्ट्रगीत)

(राष्ट्रगान)

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय,......

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी का....। माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, आपको मौका देंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह पूरी तरह व्यर्थ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी का बिहार विधान सभा के पांच दिवसीय....। माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं ली जायेगी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइए, मौका देंगे, बिना अनुमति के नहीं बोलें, हम अनुमति दें तो बोलिए, आपको अनुमति नहीं दी गयी है । मेरा आलोक जी आपसे आग्रह है कि आप कृपया बैठ जाएं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप सभी का बिहार विधान सभा के पाँच दिवसीय तृतीय सत्र में हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं शुभकामनाएँ।

भारतीय लोकतंत्र का यह पवित्र सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहाँ जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं का संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप समाधान खोजा जाता है। यह केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जनभावनाओं, लोककल्याण और संविधान की आत्मा का सजीव प्रतीक है। यहाँ होने वाला प्रत्येक विचार–विमर्श करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए यह सदन संवाद, शालीनता, मर्यादा और उत्तरदायित्व का सर्वोच्च मंच है।

सबसे पहले, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने हाल ही में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गयाजी में

आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रिया, विधायी एवं बजटीय कार्य, समिति की कार्य प्रणाली, नेवा और भविष्य की संभावनाएँ, सदस्यों के विशेषाधिकार एवं प्रोटोकॉल, संसदीय आचरण तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। मुझे विश्वास है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव इस सदन की कार्यवाही को और अधिक सार्थक, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने में सहायक होंगे।

ऋग्वेद का यह मंगल मंत्र आज विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है–

''आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।''

अर्थात् सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारे पास आएँ।

लोकतंत्र की सफलता भी इसी भावना में निहित है कि मत अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र और समाज के हित का लक्ष्य एक होना चाहिए।

उपनिषदों की प्रार्थना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है–

''असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय।''

अर्थात् हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं–

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।''

जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा धर्म है कि हम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं–

''परहित सरिस धरम नहिं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।''

जनप्रतिनिधि का धर्म भी यही है कि वह अपने निजी हितों से ऊपर उठकर जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखे।

महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का सार बताते हुए कहा गया है कि शासन का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, न्याय और समृद्धि है। यही भावना भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

भारत के महान संतों और मनीषियों ने सदैव लोकमंगल का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था–

''उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।''

आज हमारा लक्ष्य एक समृद्ध, शिक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था–

"आप वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।"

यदि हम सदन में अनुशासन, शालीनता और सकारात्मक संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था–

"संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा।"

यह कथन हमें स्मरण कराता है कि संविधान की सफलता हमारे आचरण, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन पर निर्भर करती है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए कहा था–

"राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके हित से बढ़कर कोई हित नहीं हो सकता।"

यह भावना हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार और भारत के व्यापक हित में कार्य करें।

बिहार की धरती ज्ञान, तप, त्याग और लोकतांत्रिक परंपराओं की भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने यहीं करुणा का संदेश दिया, भगवान महावीर ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, चाणक्य ने सुशासन की अवधारणा विकसित की और नालंदा तथा विक्रमशिला ने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह "दिनकर" की पंक्तियाँ आज भी विशेष रूप से हम सबको प्रेरित करती हैं–

"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याधः
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।"

और उनकी एक अन्य प्रेरक पंक्ति–

"मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।"

ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि दृढ़ संकल्प, परिश्रम और जनसेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

मेरा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों से माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सकेंगे।

माननीय सदस्यगण, मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी, वित्तीय एवं जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएँगे। मैं सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे लोकतांत्रिक

परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। स्वस्थ बहस, सार्थक विमर्श और रचनात्मक सहयोग ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। इसके माध्यम से ही यह सदन उच्च आदर्शों के अनुरूप नई कार्य–संस्कृति स्थापित कर पाएगी।

क्रमशः

टर्न–02 / सुरज / 20.07.2026

(क्रमशः)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों यह सदन बहस का मंच है, संघर्ष का नहीं, तर्क का मंच है, कटुता का नहीं, समाधान का मंच है, टकराव का नहीं । जनता ने हम सबको अपने विश्वास का प्रतिनिधि बनाकर यहां भेजा है । हमारा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक आचरण लोकतंत्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी कार्य तथा विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक भागीदारी करें । बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श करें ।

इसी प्रकार ऋगवेद का एक और महान मंत्र है–

"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।"

अर्थात हम साथ चलें, साथ विचार करें और हमारे मन एक उद्‌देश्य के लिए समर्पित हों ।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि यह सत्र लोकतांत्रिक गरिमा, संसदीय परंपराओं, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनहितकारी निर्णयों के लिए सदैव स्मरणीय बनेगा ।

इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ मैं बिहार विधान सभा के पांच दिवसीय तृतीय सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सफल कार्यवाही के लिए शुभकामनाएं देता हूं । धन्यवाद । भारत माता की जय । जय हिन्द । जय–जय बिहार ।

<u>अध्यासी सदस्यों का मनोनयन</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं :–

1. श्री रामनारायण मंडल, स0वि0स0
2. श्री श्याम रजक, स0वि0स0
3. श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0
4. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

कार्य–मंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–219(1) के अधीन मैं अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं :–

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	–	सभापति
2. श्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री	–	सदस्य
3. श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री	–	सदस्य
4. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री	–	सदस्य
5. श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, कृषि	–	सदस्य
6. श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास	–	सदस्य
7. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	–	सदस्य
8. श्री राजू तिवारी, सचेतक	–	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा
1. श्री निशांत, मंत्री, स्वास्थ्य
2. श्री संजीव चौरसिया, मुख्य सचेतक
3. श्री मंजीत कुमार सिंह, उप मुख्य सचेतक
4. श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0
5. श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0
6. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0
7. श्री माधव आनंद, स0वि0स0
8. श्री अरूण सिंह, स0वि0स0
9. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
10. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

11. श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

<u>औपचारिक कार्य</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) अध्यादेश, 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त्त) (निरसन) अध्यादेश, 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा के उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी सदन पटल पर रखती हूं जिसमें माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है :–

<u>माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण</u>

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026	16.06.2026

मानिनीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग विधेयक, 2026	15.02.2026
2.	बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026	02.03.2026
3.	बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026	08.03.2026
4.	बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026	08.03.2026
5.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026	08.03.2026
6.	बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026	30.03.2026
7.	बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026	30.03.2026
8.	बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026	30.03.2026
9.	बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026	02.04.2026
10.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026	02.04.2026
11.	बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026	03.05.2026

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद–205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम, 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2026–27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं ।

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 20.07.2026

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

स्वर्गीय रामेश्वर पासवान

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामेश्वर पासवान का निधन दिनांक–29 अप्रील, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पासवान जमुई जिला के सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972, 1980, 1985, मार्च, 2005, नवम्बर, 2005 तथा 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे जनता के हितों के प्रति सदैव सजग रहें । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय बागी कुमार वर्मा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा का निधन दिनांक–11 मई, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय वर्मा जहानाबाद जिला के मखदुमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 एवं 2000 तथा अरवल जिला के कुर्था विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2020 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय माधव लाल सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री माधव लाल सिंह का निधन दिनांक–13 मई, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह संयुक्त बिहार के गोमिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985, 1990 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद सिंह का निधन दिनांक–24 मई, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1998 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे साथ ही, वे वर्ष 1989 एवं 1991 में बिक्रमगंज लोक सभा

निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 1999 में आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लोकप्रिय व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय अनवर अहमद

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री अनवर अहमद का निधन दिनांक–14 जून, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय अहमद वर्ष 1995 एवं 1998 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत हुए थे । वे मिनलसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय अम्बिका सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अम्बिका सिंह का निधन दिनांक–17 जून, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 के उप चुनाव एवं वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाये रखें । जनक बाबू, मनीष जी शांति बनाये रखें ।

स्वर्गीय नागेन्द्र प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक–24 जून, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे समर्पित जनप्रतिनिधि थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

स्वर्गीय हरि राम

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरि राम का निधन दिनांक–03 जुलाई, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राम संयुक्त बिहार के काँके विधान सभा क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक–21 जुलाई, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।